

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या:-888 /1जी- FP/UK/ROAD/21752/2016 देहरादून: दिनांक: 12 सितंबर, 2017

सेवा में,

प्रभारी सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद - अल्मोड़ा में घुघति-कैलानी-मसमोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.044 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। FP/UK/ROAD/21752/2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव की हार्ड कापी की मूल प्रति इस कार्यालय के पत्रांक-349 दिनांक-31-07-2017 के द्वारा पूर्व में ही भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। (प्रति संलग्न) अतः जनहित में प्रस्ताव सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(विनोद कुमार)

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्या /1जी- FP/UK/ROAD/21752/2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक कुमाऊँ, नैनीताल।
4. वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
5. जिलाधिकारी, जनपद- अल्मोड़ा।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
7. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत, अल्मोड़ा।

(विनोद कुमार)

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम-जनपद -अल्मोड़ा में घुघति-कैलानी-मसमोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.044 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। FP/UK/ROAD/21752/2016

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु अल्मोड़ा वन प्रभाग में 0.837 है० पंचायत वन भूमि तथा 0.207 है० तथा सिविल सोयम वन भूमि अर्थात् कुल 1.044 है० वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा तथा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः अल्मोड़ा में घुघति-कैलानी-मसमोली मोटर मार्ग के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम: (विनोद कुमार भा.व.से.)

अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण

एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

Add. P.C.O. RIN
Land Survey Directorate
Dehradun

सरकारी मोहर:

तिथि : 12 / 09 / 2017

स्थान : देहरादून

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक- 349 FP/UK/ROAD/21752/2016 देहरादून:दिनांक: 31 जुलाई, 2017

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0आर0आई0, देहरादून।

विषय:- जनपद-अल्मोड़ा में घुघती-कैलानी-मसमोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.044 हे0 वन भूमि
का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

(ऑनलाईन फाईल संख्या FP/UK/ROAD/21752/2016)

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र
संख्या-MISC/II/ROC/COP/1/2013/1846 दिनांक 06-11-2015.

महोदय,

भारत सरकार के उक्त पत्र के अनुपालन में विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की हार्ड कापी
की एक प्रति मूल में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। अतः अनुरोध है कि प्रकरण पर वन (संरक्षण)
अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने पर विचार करने का कष्ट करें।
संलग्न:-यथोपरि।

भवदीय,

(विनीत कुमार पांगती)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या 349 FP/UK/ROAD/21752/2016 दिनांकित।

प्रतिलिपि : प्रभारी सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(विनीत कुमार पांगती)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी